भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1028
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 / 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करना

1028 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लेप्चा, भूटिया और लिम्बू भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के संबंध में सिक्किम राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भूटिया, लेप्चा और लिम्बू सहित कई भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सिक्किम राज्य सरकार से भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ है । हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

*****